श्री देव सुमन उत्तराखण्ड़ विश्वविद्यालय

बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड़–249 199

Sri Dev Suman Uttarakhand Vishwavidhyalaya

Badshahithaul, Tehri Garhwal, Uttarakhand–249 199

Tel. : 01376 – 254065 (O)
Fax : 01376 – 254065
Website: www.sdsuv.ac.in

Ref. No.: SDSUV/Affi-2014-15/Memo Dated: 16 /05/2014.

सत्र 2014–15 हेतु सम्बद्धता आवेदन सम्बन्धी तिथि सूचना

सत्र 2014–15 हेतु नवीन सम्बद्धता अथवा सम्बद्धता विस्तारण हेतु प्रस्तावों सहित आवेदन करने की अन्तिम तिथि दिनांक 25 मई 2014 को निर्धारित की जाती है। अतः सभी सम्बन्धित इच्छुक संस्थान निर्धारित तिथि तक अपना प्रस्ताव विश्वविद्यालय में जमा करना सुनिश्चित करें। सम्बद्धता सम्बन्धी विस्तृत निर्देश पृथक से संलग्नानुसार जारी किये गये है।

विश्वविद्यालय निर्देश संलग्न।

श्री देव सुमन उत्तराखण्ड़ विश्वविद्यालय

बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड़–249 199

Sri Dev Suman Uttarakhand Vishwavidhyalaya

Badshahithaul, Tehri Garhwal, Uttarakhand–249 199

Tel. : 01376 – 254065 (O)
Fax : 01376 – 254065
Website: www.sdsuv.ac.in

Ref. No.: SDSUV/Affi-2014-15/Memo Dated: 16 /05/2014.

शैक्षणिक सत्र 2014–15 हेतु सम्बद्धता विषयक आवश्यक निर्देश

विश्वविद्यालय के अधिकारिता क्षेत्रान्तर्गत नये महाविद्यालय खोले जाने अथवा वर्तमान महाविद्यालयों/संस्थानों मे स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के अतिरिक्त विषयों/पाठ्यक्रमो के प्रारम्भ करने हेतु शासनादेश संख्या 3075/सत्तर–2–2002–02(166)/2002 उच्च शिक्षा अनुभाग 27 सितम्बर 2002 में निहित प्राविधानों के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2014–15 हेतु निम्नानुसार प्रक्रिया का निर्धारण प्रस्तावित किया जा रहा है:–

(A) नवीन महाविद्यालय खोलने हेतु सम्बद्धता प्रक्रिया

1. संस्थान/संचालक संस्था अपने पैड पर आवेदन प्रस्तुत करेंगे।
2. आवेदन के साथ निम्नलिखित सूचनार्थ सप्रमाण संलग्न करने होगें।
   (I) ट्रस्ट/सोसायटी का पंजीकरण व अधतन नवीनीकरण प्रमाण पत्र।
   (II) ट्रस्ट/सोसायटी का महाविद्यालय स्थापित करने सम्बन्धी बैठक प्रस्ताव।
   (III) भूमि मानकानुसार संस्था/महाविद्यालय के नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित हो अथवा कम से कम 30 वर्ष के लिए लीज पर हो तथा लीज डीड पंजीकृत हो।
   (IV) संचालक संस्था को सुदृढ़ आर्थिक स्थिति का प्रमाण।
   (V) महाविद्यालय/संस्थान के लिए प्रस्तावित भवन का चारों दिशाओं से लिया गया बड़े साइन का फोटो।
3. संस्थान को निर्धारित प्रक्रिया शुल्क (Processing Fee) जमा करनी होगी।
4. निर्धारित अंतिम तिथि तक आवेदन करना होगा।

(B) पूर्व से संचालित महाविद्यालय/संस्थानों में नवीन पाठ्यक्रम सम्बद्धता हेतु मानक प्रक्रिया

1. संस्थान/संचालक संस्था अपने पैड पर प्रस्तावित विषय/पाठ्यक्रम सम्बद्धता हेतु औचित्य सहित आवेदन निर्धारित तिथि तक प्रस्तुत करेगें।
2. आवेदन के साथ निम्नलिखित सूचना भी सप्रमाण संलग्न करनी होगी
   (I) महाविद्यालय/संस्थान में स्नातक स्तर पर वर्तमान में संचालित विषय/पाठ्यक्रम उनमें प्रवेशित विद्यार्थियों की संख्या।
   (II) संचालित पाठ्यक्रमों/विषयों की सम्बद्धता की स्थिति।
   (III) पूर्व संचालित विषयों/पाठ्यक्रमों में विगत 3 वर्ष का विषयवार परीक्षाफल का प्रमाणित विवरण।
   (IV) पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों में अर्ह शिक्षकों की न्युक्ति की आख्या।
   (V) महाविद्यालय के पास आवेदित पाठ्यक्रम हेतु पृथक से मानकानुसार अतिरिक्त भूमि, भवन व खेलकूद सुविधाये उपलब्धि की स्थिति।
3. यदि संस्थान श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय में प्रथम बार सम्बद्धता हेतु आवेदन कर रहा है, तो नवीन संस्थान खोलने हेतु (A) में निर्धारित प्रक्रिया व निर्धारित प्रपत्र भी जमा करने होगें।
4. निर्धारित प्रक्रिया शुल्क जमा करना।
5. निर्धारित अंतिम तिथि तक आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

(C) स्नातकोत्तर स्तर पर पाठ्यक्रम स्वीकृत करने के मानक

स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रम उन्हीं महाविद्यालयों में स्वीकृत किये जायेगे जहांः–

1. स्नातक स्तर पर विषयों मे सम्बद्धता प्राप्त हुये तीन वर्ष पूर्ण हो चुके हो व इन वर्षो में उनकी व्यवस्था, प्रबन्धन व शिक्षण उच्च स्तर का रहा हो।
2. विगत तीन वर्षो का परीक्षाफल अविच्छित्त रूप से उत्तम रहा हो तथा 60% से कम न हो।
3. महाविद्यालय की छात्र संख्या महिला महाविद्यालय की दशा में 300 से अधिक हो एवं सहशिक्षा युक्त महाविद्यालय की दशा में 500 हो चुकी हो।
4. स्नातक स्तर पर महाविद्यालय एवं प्रयोगशालाओं में क्रमशः पुस्तके, उपकरण आदि पूर्ववर्ती वर्षो में मानकानुसार क्रय किये गये हो।
5. महाविद्यालय मे निर्धारित अर्हता धारक शिक्षक न्युक्त किये गये हो।
6. ग्रामीण क्षेत्रों में प्रस्तावित महाविद्यालय के 15 किमी0 की परिधि के अन्दर किसी अन्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय में प्रस्तावित पाठ्यक्रम न हो।
7. उक्त मानक पूर्ण होने पर ही स्नातकोत्तर स्तर पर प्रस्तावित नवीन पाठ्यक्रम में एक शैक्षिक सत्र में अधिकतम सामन्यतया 2 नवीन पाठ्यक्रमों में अस्थायी सम्बद्धता प्रदान करने की संस्तुति की जा सकेगी।

(D) स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रमों मे अतिरिक्त सेक्सन/सीटों की वृद्धि हेतु मानक

1. पूर्व से संचालित पाठ्यक्रमों हेतु अवस्थापना सम्बन्धी सभी मानक पूर्ण हो।
2. सम्बन्धित स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में महाविद्यालय कम से कम एक बैच पासआउट हो चुका हो तथा परीक्षाफल 60% से कम न रहा हो।
3. पाठ्यक्रम मे प्रवेश हेतु मांग/आवश्यकता का आधारभूत आंकड़ो के अनुसार औचित्य हो।
4. सम्बन्धित विषय में न्युक्त शिक्षक यू0जी0सी0 एवं शासन द्वारा निर्धारित अर्हता धारण करते हो।

(E) सम्बद्धता विस्तारण हेतु मानक

1. महाविद्यालय की स्थापना से सम्बन्धित अवस्थापना सम्बन्धी मानक तथा पूर्व में निर्गत सम्बद्धता प्रदान करने सम्बन्धी आदेश में उल्लेखित शर्ते पूर्ण कर ली गयी हों
2. शिक्षको की न्युक्ति यू0जी0सी0/शासन द्वारा निर्धारित अर्हताओं के अनुरूप की गयी हो।
3. विगत वर्षो (अधिकतम 3 वर्ष) का परीक्षाफल 60% से कम न रहा हो।
4. संस्था का पंजीकरण अध्यावधिक विधिमान्य हो।
5. महाविद्यालय द्वारा शासन एवं विश्वविद्यालय के नियमों का पालन किया जा रहा हो।
6. विश्वविद्यालय की परीक्षाओं की अवधि मे सामुहिक नकल का आरोप न हो।
7. सम्बद्धता विस्तारण हेतु प्रस्ताव निर्धारित अवधि तक प्रस्तुत कर दिया गया हो।

अतः नवीन सम्बद्धता हेतु इच्छुक संस्थान एवं सम्बद्धता विस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में उक्तानुसार प्रस्ताव अवलोकनार्थ एवं उचित आदेशार्थ प्रस्तुत।

कुलसचिव।